

# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228059, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: [rmsc@nic.in](mailto:rmsc@nic.in)

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: [www.rmhc.health.rajasthan.gov.in](http://www.rmhc.health.rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ. 04( ) / आरएमएससी / विशेषाधिकारी / 2019 / 1668


दिनांक : 11/12/19

## कार्यालय आदेश

M/s Astra Lifecare (India) Pvt. Ltd., Plot No.-57/P, Sarkhej-Bavla Highway, Village Rajoda, Tel. Bavla. Ahmedabad, Pin-382220 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(237)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-04/2018/170 दिनांक 01.02.2018 के तहत औषधि Quinine Sulphate Tablets IP 300mg (Film Coated) (code no. 132) के क्रयादेश क्रमांक 4514 दिनांक 26.03.2019 के द्वारा 99000 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 1491 दिनांक 16.07.2019 के द्वारा 98300 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 2162 दिनांक 16.09.2019 के द्वारा 111500 मात्रा 45 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध शून्य/50 प्रतिशत से कम आपूर्ति करने पर पत्रांक 2255 दिनांक 04.11.2019 द्वारा नोटिस जारी किया गया। उक्त औषधि अतिआवश्यक औषधि की श्रेणी में आने के कारण इसके अभाव में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकरण का एजेण्डा तैयार कर अनुशासनात्मक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। इस सम्बन्ध में निर्माता फर्म को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया। दिनांक 20.11.2019 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई। अनुशासनात्मक समिति के समक्ष फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म द्वारा नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की शून्य/50 प्रतिशत से कम मात्रा आपूर्ति की गई हैं, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति पत्र क्रमांक 1584 दिनांक 04.12.2019 द्वारा प्राप्त दिनांक 20.11.2019 को आयोजित मीटिंग की मिनिट्स की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता M/s Astra Lifecare (India) Pvt. Ltd., Plot No.-57/P, Sarkhej-Bavla Highway, Village Rajoda, Tel. Bavla. Ahmedabad, Pin-382220 को औषधि Quinine Sulphate Tablets IP 300mg (Film Coated) (code no. 132) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

  
 (सुरेश चन्द गुप्ता)  
 आई.ए.एस.  
 प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2019

दिनांक :

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/गुजरात।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. एजीएम (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Astra Lifecare (India) Pvt. Ltd., Plot No.-57/P, Sarkhej-Bavla Highway, Village Rajoda, Tel. Bavla. Ahmedabad, Pin-382220
13. गार्ड फाईल

विशेषाधिकारी  
आर.एम.एस.सी.